न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए/41/2014

उनवान

1. बालू पिता देबी जाति गुर्जर निवासी चाडों की झोंपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. भूरा पिता बख्तावर गुर्जर निवासी चाडों की झोंपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. शंकर पिता उदा बलाई निवासी चाडों की झोंपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. श्रवण पिता हेमा भील निवासी चाडों की झोंपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. ऊंकारनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी बरूंन्दनी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि ऊंकारनाथ जोगी निवासी बरूंन्दनी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

....प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर, भीलवाडा
के प्रकरण संख्या 31/2013 निर्णय दिनांक 29.11.2013

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दिनेश सिसोदिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 27.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि 17 ए. राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम चाडो की झोपडियॉ ग्राम पंचायत बरून्दनी के नागरिक, कृषक, पशुपालक, तथा भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति होकर ग्राम चाडा की झोपडियों के विकास, उन्नति के प्रति प्रयत्नशील होकर समस्याओं के निराकरण हेतु भी जागरूक व्यक्ति है। दिनांक 24.1.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में किये गये भू आवंटन के प्रति सार्वजनिक हितार्थ व्यथित पक्षकार है। ग्राम चाडा की झोंपडियॉ करीब 60–70 घरों की बस्ती होकर 250–300 व्यक्ति रहते है। तथा गावं में करीब 2500–3000 मवेशी हैं । ग्रामवासियान का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। आबादी से लगी हुई बिलानाम कृषि अयोग्य भूमि करीब 150–200 बीघा है जिसमें वृक्षारोपण, जगल व चारागाह विकसित करने हेतु ग्रामवासियान ने श्रमदान कर करीब 20–25 वर्ष पहले से डोल लगाकर अपने कब्जे में लेकर पेड लगाये हैं, घास पैदा कर मवेशी चरा रहे हैं, आज तक करीब 2000 छोटे–मोटे पैड एवं पौधे लगे हुए हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान दिनांक 24.1. 2013 को भू आवंटन कमेटी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को ग्राम बरून्दनी की आराजी खसरा नम्बर 440 में 6.05 बीघा भूमि का आवंटन किया, तथाकथित उक्त बिलानाम कृषि अयोग्य भूमि करीब 20–30 बीघा भूमि में पहाडियॉ हैं। मीणों की लिफट की जमीन में आने–जाने के कदमी रास्ते हैं तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आबादी से सटी हुई भूमि होने से आमजन एवं मवेशियों के आने–जाने व अन्य सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि है। आवंटी ने जो आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है वह अपूर्ण है, आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी के हस्ताक्षर नहीं है। तथाकथित भू आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार साहब माण्डलगढ को संबोधित किया हुआ है। आवेदन पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट जिसमें अंकित आराजी व आवेदन मे चाही गई आराजी भिन्न है , भू आवंटन सलाहकारसमिति की सिफारिश अपूर्ण है, आवेदन में आवेदक की उम्र एवं निवास स्थान अंकित नहीं है, आवंटी इसी ग्राम या इसी पंचायत क्षेत्र का निवासी होना भी प्रकट नहीं होता है। छल–कपट कारित कर ग्राम बरून्दनी एवं बाहरी व्यक्तियों को तथा नाबालिग को आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। भू आवंटन के नियम 13 के अन्तर्गत 15 दिन (7 दिन) पूर्व आवंटन बाबत सूचना प्रेषित करने का प्रावधान है। भू आवंटन के संबंध में सभी कार्यवाही एक ही दिन दिनांक 24.1.2013 को सम्पन्न की गई है। आवंटी ग्राम बरून्दनी के निवासी होकर 4–5 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं। जबकि प्रार्थीगण ग्रामवासियान चाडा की झोंपडिया से आवंटित जमीन मात्र 400–500 मीटर की दूरी पर है। तथाकथित भू आवंटन विहित नियमों के नियम 10 व 11 के तहत आम सूचना प्रकाशन तथा पूर्ण जानकारी के उपरान्त होता तो ग्रामवासियान उक्त आवंटन बाबत अपना प्रथम हक नियम 10 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते। किन्तु मिलीभगत कर भूमि का आवंटन रिश्तेदार व्यक्तियों को छल–कपटपूर्वक करवा लिया गया । आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि एक ही परिवार के 5–6 व्यक्तियों को आवंटन करना अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रिश्तेदरों को आवंटन करना पूर्व में आवंटन कर खातेदारी अधिकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त करने के उपरान्त भूमि को विक्रय कर भूमिहीन एवं कृषक होने का धन्धा अपनाने वाले व्यक्तियों को आवंटन भी एवं नाबालिग है व बाहरी व्यक्तियों व व्यापारियों को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया भू–आवंटन निरस्त कराया जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 29.11.2013 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आवंटन योग्य नहीं है। उक्त भूमि पर ग्राम चाडो की झोंपडिया के ग्रामवासियान ने श्रमदार कर करीब 25–30 साल पहले डोल लगाकर अपने कब्जे में लेकर पैड लगाये हैं तथा वहॉ पर होने वाली घास में अपने मवेशी चरा रहे हैं तथा सुखी लकडी प्राप्त कर रहे हैं। मौके पर करीब 2000 छोटे–मोटे पैड पौधे लगे हुए हैं। वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व उद्घोषणा नहीं की गई थी। गुप–चुप तरीके से मिलीभगत कर आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षीगण को आवंटन किया है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन प्रार्थना पत्र में कांट–फांस कर आराजी नम्बर में परिवर्तन किया गया है रिपोर्ट पटवारी मे भी पटवारी ने आराजी नम्बर को कांटकर अन्य आराजी नम्बर अंकित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया है। आवंटन के आवेदन पत्र में वांछित आराजी नम्बर 459 है जबकि आवंटन आराजी नम्बर 444 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू आवंटन के नियम 13 के अन्तर्गत 15 दिन पूर्व आवंटन बाबत आवंटन सलाहकार समिति को सूचना प्रेषित करने का प्रावधान है किन्तु एक ही दिन में आवेदन पत्र भरना, सलाहकार समिति की रिपोर्ट , पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर उसी दिन आवंटन कर दिया इस प्रकार आवंटन से पूर्व विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है मौके की रिपोर्ट भी नहीं ली गई है मौके पर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा है एवं डोल लगा रखी है। इन बिन्दुओं पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं प्रत्यर्थी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि विपक्षी/आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति से मिलीभगत कर , छल–कपटपूर्वक अपने पक्ष में आवंटन कराया है अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रत्यर्थीगण का आवंटन निरस्त किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का का निवेदन है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के लिए आवंटन किया गया एवं आवंटन सलाहकार समिति ने प्रत्यर्थीगण को आवंटन का पात्र मानते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया है। प्रत्यर्थीगण ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है एवं न ही छल–कपट पूर्ण तरीके से वादग्रस्त भूमि का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपने पक्ष में आवंटन कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूंमि का आवंटन गलत तौर पर मौके वास्तविक रिपोर्ट नहीं लेकर मिलीभगत कर प्रत्यर्थीगण को आवंटन किया गया है। मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार आवंटी/प्रत्यर्थीगण के पास नोशनल शेयर से 1.01 बीघा सिंचित भूमि है। जिससे प्रत्यर्थीगण भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। आवंटी ने उक्त तथ्य अपने आवेदन पत्र में भी अंकित किये हैं। वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व उद्घोषणा दिनांक 1.1.2013 जारी कर भूमि का आवंटन किया गया है। जहॉ तक अपीलार्थीगण का यह कथन कि प्रत्यर्थीगण ने आवंटन सलाहाकर समिति से मिलीभगत कर तथ्यों को छुपाकर छल एवं कपटपूर्ण तरीके से अपने पक्ष में वादग्रस्त भूमि का आवंटन कराया है। लेकिन अपीलार्थीगण ने यह साबित नहीं किया है कि आवंटी/प्रत्यर्थीगण ने किस प्रकार छल–कपट किया है। आवंटन सलाहाकर समिति ने आवंटन किये जाने से पूर्व सारी विधिक प्रकिया पूरी की है एवं प्रत्यर्थीगण/आवंटी के आवंटन की पात्रता की जांच कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन उनके पक्ष में किया गया है । जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2013 को यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा